


## विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश शासन पशुधन अनुभाग-1 के पत्र संख्या 3548/37-1-10-11(29)2001 दिनांक 28 जुलाई 2010 द्वारा की गयी अधिसूचना के अन्तर्गत जनपद लखनऊ/स्थानीय स्तर पर पशु कल्याण कार्यों में संलग्न 5-6 मानवतावादी/पशु प्रेमी/पशु कल्याण कर्ताओं एवं पशु कल्याण संस्थाओं के लिये कार्यरत 02 प्रतिनिधियों को पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिये सोसायटी (एस0पी0सी0ए0) के गठन के अन्तर्गत सदस्य हेतु नामित किया जाना है। अभ्यर्थी अपना पूर्ण बायोडाटा अनुभव सहित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 12.04.2018 तक उपलब्ध करा दें, जिससे तदानुसार सम्यक विचारोपरान्त सदस्य नामित करने के लिये अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा सके।

  
न्यायालय  
(डा० तेज सिंह यादव)  
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी  
लखनऊ